

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन**

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक: 27-02-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अतारांकित प्रश्न सं.56 (प्रश्न क्रं.540) दि. 27-02-2018 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	कृषि उपज मंडी समिति करेली जिला नरसिंहपुर में मंडी सचिव के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) वर्तमान में जांच प्रक्रियाधीन है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।  (2) उक्त शिकायतों की जांच वृहद एवं विस्तृत स्वरूप की होने पर भी उप संचालक जबलपुर की सेवानिवृत्ति के पूर्व ही जांच पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।		
2	अतारांकित प्रश्न सं.63 (प्रश्न क्रं.605) दि. 27-02-2018 (डॉ. कैलाश जाटव)	माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुसार विधान सभा क्षेत्र गोटेगांव अंतर्गत मुंगवानी में कृषि उपज उप मंडी प्रारंभ किया जाना।	उपमंडी मुंगवानी हेतु भूमि चयनित कर भूमि आवंटन की प्रक्रिया विचाराधीन है।		
3	अतारांकित प्रश्न सं.91 (प्रश्न क्रं.698) दि. 27-02-2018 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	कृषि उपज मंडी समिति कटनी में लेखा सत्यापन न करने व निराश्रित वसूली नहीं करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	(1) प्राप्त शिकायतों पर जांच प्रक्रियाधीन है।  (2) जांच पूर्ण होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
4	अतारांकित प्रश्न सं.111 (प्रश्न क्रं.804) दि. 27-02-2018 (कुंवर सौरभ सिंह)	कटनी जिले के बहोरीबंद में स्वतंत्र कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाना।	कार्यालयीन पत्र दिनांक 11.01.18 द्वारा उप संचालक, आंचलिक कार्यालय जबलपुर एवं सचिव, कृषि उपज मंडी समिति कटनी से प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रतिवेदन चाहा गया है, जो कि वर्तमान तक अपेक्षित है।		
5	अतारांकित प्रश्न सं.126 (प्रश्न क्रं.868) दि. 27-02-2018 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	प्रश्न क्रमांक 876 दिनांक 27.11.2017 के संदर्भ में श्री अश्विनी झारिया तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी (नघयो) महिदपुर के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच की कार्यवाही एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर विधि अनुरूप कार्यवाही की जाना।	(1) विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।  (2) जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक निर्माण विभाग

दिनांक: 27-02-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.37 (प्रश्न क्रं.399) दि. 27-02-2018 (श्री इन्दर सिंह परमार)	जिला शाजापुर के कालापीपल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अरनिया कलॉ-कोठडी कलां मार्ग से अलिसरिया-रोलाखेड़ी पहुंच मार्ग की सड़क निर्माण में उपयोग की गई भूमि का मुआवजा शेष रहे किसानों को शीघ्र ही दिया जाना ।	प्रकरण प्रक्रियाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

विधि और विधायी कार्य विभाग

दिनांक: 27-02-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	अतारांकित प्रश्न सं.85 (प्रश्न क्रं.689) दि. 27-02-2018 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले के जावरा नगर, पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील अंतर्गत नोटरियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति कराई जाना ।	जिला रतलाम एवं अन्य संबंधित तहसीलों में रिक्त नोटरी पदों पर नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन**

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक: 27-02-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.737) दि. 27-02-2018 (श्री सूबेदार सिंह रजौधरा)	मुरैना जिले के जौरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देवकच्छ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्राथमिक विद्यालय खोलने की की गई घोषणा के अनुसार नवीन प्राथमिक शाला प्रारंभ किया जाना ।	प्राथमिक शाला आदिवासी कालोनी देवकच्छ पूर्व में संचालित होने के कारण नवीन प्राथमिक शाला प्रारंभ करने हेतु प्रकरण विचाराधीन है ।		
9	तारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.302) दि. 27-02-2018 (श्रीमती प्रतिभा सिंह)	जबलपुर जिले के बरगी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम रमखिरिया, निगरी, सुन्दरादेही, सूखा, दामन खमरिया माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन एवं ग्राम मनकेडी, सहजपुर, कालादेही, गंगई, उगडगा हिनोता, बरखेडा हाईस्कूलों को हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में उन्नयन किया जाना ।	शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
10	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.30) दि. 27-02-2018 (श्री यशपालसिंह सिसौदिया)	मंदसौर, रतलाम एवं नीमच जिले के प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की भूमि का सीमांकन समयसीमा में किया जाना ।	सम्पूर्ण शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की भूमि के सीमांकन की कार्यवाही प्रचलन में है।		
11	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.36 (प्रश्न क्रं.398) दि. 27-02-2018 (श्री इन्दर सिंह परमार)	शाजापुर जिले के मोहन बडौदिया ब्लॉक के सेवानिवृत्त सहायक जिला शाला निरीक्षक स्व. श्री कालीचरण शर्मा के विकलांग पुत्र श्री प्रवीण शर्मा द्वारा पारिवारिक पेंशन के अन्तर्गत दिये गये आवेदन का शीघ्र निराकरण किया जाकर पात्र परिवारों को पेंशन का लाभ दिया जाना ।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।		
12	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.60 (प्रश्न क्रं.610) दि. 27-02-2018 (श्री भंवर सिंह शेखावत)	माध्यमिक विद्यालय बदनावर, जिला धार का हाईस्कूल में उन्नयन किया जाना तथा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में कार्यवाही की जाना ।	जी हां । 8वीं के पश्चात् आगामी कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में कार्यवाही परीक्षाधीन है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.61 (प्रश्न क्रं.611) दि. 27-02-2018 (श्री भंवर सिंह शेखावत)	धार जिले के बदनावर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शासकीय हाईस्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूल, उत्कृष्ट तथा मॉडल विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	वर्तमान में संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।		
14	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.67 (प्रश्न क्रं.646) दि. 27-02-2018 (श्री जयवर्द्धन सिंह)	शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1) (सी) के अन्तर्गत भोपाल संभाग के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निशुल्क अध्यनरत् बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति में वर्ष 2016 में की गई अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) जांच उपरांत कार्यवाही संभव हो सकेगी।		
15	अतारांकित प्रश्न सं.57 (प्रश्न क्रं.541) दि. 27-02-2018 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	सतना जिले के अनुदान प्राप्त जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रेमनगर सतना के प्रभारी प्राचार्य श्री कमलेश कुमार गौतम प्रभारी प्राचार्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पंजी क्रमांक 816-15 दिनांक 28.05.2015 की जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	प्रकरण की जांच जिला शिक्षा अधिकारी सतना से कराई गई, जांच प्रतिवेदन परीक्षाधीन है।		
16	अतारांकित प्रश्न सं.96 (प्रश्न क्रं.709) दि. 27-02-2018 (श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य))	इंदौर जिले में वर्ष 2017-18 में 63वें राज्यस्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तरीय शाला प्रतियोगिता के लिये बकाया देयकों का भुगतान किया जाना।	भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
17	अतारांकित प्रश्न सं.109 (प्रश्न क्रं.797) दि. 27-02-2018 (श्री मुकेश नायक)	पन्ना जिले के पवई विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत शासकीय शालाओं का उन्नयन किया जाना एवं राज्य मद अन्तर्गत उपलब्ध बजट से शालाओं में अतिरिक्त कक्ष, बाउन्ड्रीवॉल, हैंडपंप एवं विद्युत कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही समयसीमा में पूर्ण की जाना।	शालाओं में राज्य मद से विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही प्रचलन में है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन**

सहकारिता विभाग

दिनांक: 27-02-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>18</b>	अतारांकित प्रश्न सं.42 (प्रश्न क्रं.422) दि. 27-02-2018 (श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल)	प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 877 दिनांक 27.11.2017 के संदर्भ में धार जिले में वर्ष 2016 में प्याज खरीदी में अनियमितता के लिये जिला विपणन अधिकारी धार के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के पश्चात् प्राप्त प्रति उत्तर के आधार पर समय-सीमा में नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		